रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 158] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 8, 1982/भाद्र 17, 1904
No. 158] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPT. 8, 1982/BHADRA 17, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1982

फा. सं. 21/7/81-वि. कर —दिनांक 9 जून, 1982 के संकल्प फा संख्या 21/7/81-वि कर में आंशिक संशोधन करते हुए, सरकार ने यह निर्णय किया है कि वनस्पति, औषध द्रव्यों और दवाइयों, सीमेंट, कागज और गत्ता तथा पैट्रोलियम उत्पादों को घोषित वस्तुओं की सूची में शामिल करने और उन पर लगने वाले बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव के वित्तीय प्रभावों का तथा राज्यों के वित्तीय हितों की किस प्रकार रक्षा की जा सकती है, इस बात का अध्ययन करने के लिए नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट 30 सितम्बर, 1982 के बजाय 31 दिसम्बर, 1982 तक प्रस्तुत करेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कार्यालयों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

एम. वी. एन. राव, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

RESOLUTION

New Delhi, the 8th September, 1982

F. No. 21/7/81-ST.—In partial modification of the Resolution F. No. 21/7/81-ST dated 9th June, 1982 the Government have decided that the Expert Committee appointed to study the financial implications of the proposal for inclusion in the list of declared goods and for levy of additional excise duty in lieu of sales tax on vanaspati, drugs and medicines, cement, paper and paper board and petroleum products and the manner in which the financial interests of the States can be safeguarded, will submit its report by the 31st December, 1982 instead of the 30th September, 1982.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette for general information

M. V. N. RAO, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982